



डजिटल बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा

प्रलम्बिस के लयि:

[भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(CCI\)](#), [डजिटल प्लेटफॉर्म](#), प्रतस्पर्द्धा कानून, [ऑनलाइन वजिज़ापन](#), लक्षति वजिज़ापन, नयामक ढाँचा, [वयकतगित डेटा संरक्षण वधियक, 2023](#)

मेन्स के लयि:

डजिटल बाज़ारों के प्रमुख पहलू, डजिटल बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा से जुड़ी चुनौतयिँ

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(Commission of India- CCI\)](#) के अध्यक्ष ने 15वें वार्षिक दविस समारोह के दौरान डजिटल बाज़ार की प्रवृत्ति पर बल दयिा, जसिसे बाज़ार संकेंद्रण और एकाधकिारवादी प्रवृत्तयिँ बढ रही हैं।

इस कार्यक्रम प्रमुख बदि क्या हैं?

- CCI अध्यक्ष के अनुसार, बड़े डेटासेट पर [डजिटल प्लेटफॉर्म](#) का नयित्रण नए अभकिर्त्ताओं के प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है, प्लेटफॉर्म तटस्थता से समझौता कर सकता है और एल्गोरदिम संबधी सॉट-गॉट को जन्म दे सकता है।
- [भारत के महानययवादी](#) ने यह भी रेखांकित कयिा कि उपयोगकर्त्ता डेटा पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का एकाधकिार“जाँच का वषिय हो सकता है” और मुक्त बाज़ार तथा सामाजकि लाभ के बीच संतुलन बनाने के लयि नए वधिरों की आवश्यकता है, जसिके लयि कानूनी नवाचार ज़रूरी है।
- भवषिय हेतु डजिटल अर्थवयवस्था नवाचार, वकिस और उपभोक्ता लाभ के लयि कई अवसर प्रदान करती है, लेकनि इसने वशिव भर में पारंपरकि प्रतस्पर्द्धा कानून ढाँचे को चुनौती दी है।
- डजिटल बाज़ारों के संदर्भ में मानवीय प्राथमकिताओं को समझने के लयि व्यवहारकि अर्थशास्त्र जैसे उपकरणों के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया।

डजिटल बाज़ार क्या है?

- **परचिय:**
 - डजिटल बाज़ार, जसि ऑनलाइन बाज़ार भी कहा जाता है, अनविर्य रूप से वह वाणजियकि स्थान है जहाँ व्यवसाय और उपभोक्ता डजिटल तकनीकों के माध्यम से जुडते हैं।
- **उदाहारण:**
 - **ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस:** ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ व्यवसाय सीधे उपभोक्ताओं (B2C) को उत्पाद बेचते हैं, जैसे अमेज़न और ईबे।
 - **डजिटल वजिज़ापन:** इसमें वेबसाइट, सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म या सर्च इंजन पर दखिाए जाने वाले [ऑनलाइन वजिज़ापन](#) शामिल हैं। गूगल वजिज़ापन और फेसबुक वजिज़ापन जैसी कंपनयिँ इस क्षेत्र में काम करती हैं।
 - **सोशल मीडिय मार्केटगि:** व्यवसाय संभावति ग्राहकों से जुडने, ब्रांड जागरूकता उत्पन्न करने और उत्पादों या सेवाओं को बढावा देने के लयि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर (परविरत्ति नाम एक्स) जैसे [सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म](#) का उपयोग करते हैं।
 - **सर्च इंजन आप्टीमाइज़ेशन(SEO):** इसमें वेबसाइट की सामग्री और संरचना को सर्च इंजन रजिलट पेज (Search Engine Results Pages- SERP) में उच्च रैंक के लयि आप्टीमाइज़ेशन करना शामिल है जसिसे जैव यातायात (Organic Traffic) में वृद्धि होती है।
- **एकाधकिारवादी प्रवृत्तयिँ को जन्म देने वाली वशिशताएँ:**
 - कई डजिटल बाज़ार कुछ वशिशताएँ प्रदर्शति करते हैं, जैसे अपरविरत्नीय लागत, उच्च स्थरि लागत और मज़बूत नेटवर्क

प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही फर्मों का बाज़ार में बहुत हिस्सा होता है।

डजिटल बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

■ बाज़ार प्रभुत्व और प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाएँ:

- कुछ प्रतस्पर्द्धा बाज़ार के बड़े हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, नवाचार को रोक सकते हैं और उपभोक्ता की पसंद को सीमित कर सकते हैं। यह प्रभुत्व **प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं** को जन्म दे सकता है जैसे:
 - **स्व-प्राथमिकता:** एक प्लेटफॉर्म खोज परिणामों या प्रचारों में प्रतस्पर्द्धाओं की तुलना में अपने उत्पादों अथवा सेवाओं को प्राथमिकता देता है।
 - उदाहरण: गूगल कथित तौर पर अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में अपने शॉपिंग परिणामों को वरीयता दे रहा है।
 - **उपयोगकर्त्ता को वविश करना:** उपयोगकर्त्ताओं को वांछित उत्पादों या सेवाओं के साथ अवांछित उत्पाद अथवा सेवाएँ खरीदने के लिये मजबूर करना।
 - उदाहरण: आईफोन को जब दूसरे एप्ल उत्पादों जैसे कि आईपॉड और एप्ल म्यूज़िक के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक सहज उपयोगकर्त्ता अनुभव प्रदान करता है। यह सघन एकीकरण उपयोगकर्त्ताओं को एप्ल पारस्थितिकी तंत्र से जुड़े रहने के लिये मजबूर करता है, जिससे संभवतः अन्य ब्रांडों के साथ उनके विकल्प सीमित हो जाते हैं।
 - **वशिष सौदे:** आपूर्तिकर्त्ताओं या वितरकों को वशिषिट समझौतों में बाँधना, जिससे **प्रतस्पर्द्धा में बाधा** उत्पन्न होती है।
 - उदाहरण: हॉटस्टार, जियो सनिमा आदि जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शो के वशिष अधिकार सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे दर्शकों के विकल्प सीमित हो रहे हैं।

■ नेटवर्क प्रभाव और वनिर-टेक-ऑल डायनेमिक्स:

- किसी प्लेटफॉर्म का मूल्य तब बढ़ता है जब अधिक उपयोगकर्त्ता उससे जुड़ते हैं, जिससे एक **स्नोबॉल प्रभाव (Snowball Effect)** उत्पन्न होता है जो नए प्रवेशकों के लिये प्रतस्पर्द्धा करना कठिन बना देता है।
- **उदाहरण के लिये:** व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं के साथ अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। इससे नमिन परिणाम हो सकते हैं:
 - **उच्च स्वचिगि लागत:** संचित डेटा, नेटवर्क कनेक्शन या डूबे हुए लागत के कारण उपयोगकर्त्ता इसके आदी हो जाते हैं, जिससे उनके लिये प्रतस्पर्द्धा प्लेटफॉर्म पर स्वचिगि करना कठिन हो जाता है।
 - **नवप्रवर्तन में कमी:** प्रमुख प्रतस्पर्द्धाओं के पास नवप्रवर्तन के लिये न्यूनतम प्रोत्साहन हो सकता है क्योंकि उनकी बाज़ार में मज़बूत स्थिति होती है।

■ डेटा लाभ और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:

- डजिटल कंपनियों बड़ी मात्रा में उपयोगकर्त्ता डेटा एकत्र करती हैं, जिससे उन्हें **वैयक्तिकरण, लक्षित वजिज्ञापन और उत्पाद विकास** में लाभ मिलता है। इससे नमिन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं:
 - **उपभोक्ता गोपनीयता:** जिस पद्धति से **उपयोगकर्त्ता डेटा एकत्रित**, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है, वह अस्पष्ट हो सकती है तथा इससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है।
 - **अवसरों में असमानता:** नए प्रवेशकों को उन स्थापित प्रतस्पर्द्धाओं के साथ प्रतस्पर्द्धा करने में कठिनाई हो सकती है जिनके पास लाभ प्राप्त करने के लिये **समृद्ध डेटा सेट** है।

■ वनियामक चुनौतियाँ:

- डजिटल बाज़ारों की तीव्र प्रकृति मौजूदा नियमों को अप्रभावी बना सकती है। वनियामक नमिनलखिति को परिभाषित करने और संबोधित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं:
 - **अवशिवास संबंधी मुद्दे:** जटिल डजिटल पारस्थितिकी तंत्र में **प्रतस्पर्द्धा-वरीधी व्यवहार** को परिभाषित और सिद्ध करना कठिन हो सकता है।
 - **एक प्रमुख फर्म का निर्धारण** करना भी एक बड़ी चुनौती है।

डजिटल बाज़ार प्रतस्पर्द्धा की नगिरानी हेतु संभावित समाधान क्या हैं?

■ सक्रिय उपाय:

- **प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डजिटल मध्यस्थों (SIDIs) का पदनाम:** महत्त्वपूर्ण बाज़ार शक्ति (उपयोगकर्त्ता आधार एवं राजस्व के आधार पर) वाले प्रमुख प्रतस्पर्द्धाओं की पहचान करना और उन्हें **सख्त नियम** के अधीन करना।
- **प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं का नषिध:** स्व-वरीयता और अनन्य व्यवहार जैसी **प्रथाओं** पर स्पष्ट रूप से **प्रतबिंध** लगाना जो प्रतस्पर्द्धा को रोकते हैं।
 - **उदाहरण:** कोई प्लेटफॉर्म खोज परिणामों में प्रतस्पर्द्धाओं की तुलना में अपने उत्पादों को प्राथमिकता नहीं दे सकता।
- **डेटा साझाकरण और अंतरसंचालनीयता:** उपयोगकर्त्ताओं को प्लेटफॉर्म के बीच डेटा या सेवाओं को अधिक सरलता से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिये **डेटा साझाकरण या प्लेटफॉर्म अंतरसंचालनीयता** को कुछ वशिष सीमा तक अनिवार्य करना।
 - **उदाहरण:** उपयोगकर्त्ताओं को अपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट (Online Shopping Cart) को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने की अनुमति देना।

■ भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) को सुदृढ़ बनाना:

- **उन्नत संसाधन और वशिषज्ञता:** CCI को डजिटल बाज़ारों की प्रभावी नगिरानी करने और संभावित प्रतस्पर्द्धा -वरीधी प्रथाओं की जाँच करने के लिये **अतिरिक्त शक्तियाँ, संसाधन एवं कार्मिक** प्रदान करना।
 - **उदाहरण:** 53वीं संसदीय स्थायी समितिकी रिपोर्ट ने डजिटल बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये CCI को मज़बूत करने की अनुशंसा की।

■ डेटा संरक्षण के साथ नवाचार को बढ़ावा देना:

- **विनियामकीय सैंडबॉक्स:** डिजिटल बाज़ारों में स्टार्टअप के लिये एक **विनियामक ढाँचा** स्थापित किया जाना चाहिये ताकि विनियामक भार कम होने के साथ नयित्त्रति वातावरण में **नवीन उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण** किया जा सके।
- **पारदर्शिता और उपयोगकर्त्ता वकिलप:** डेटा संग्रह प्रथाओं के बारे में पारदर्शी होने और उपयोगकर्त्ताओं को उनके डेटा पर सार्थक नयित्त्रण प्रदान करने के लिये प्लेटफार्मों की आवश्यकता वाले वसित्त नयिम तैयार किये जाने चाहिये।
 - **उदाहरण:** **व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2023** का उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को उनके व्यक्तगित डेटा पर अधिक नयित्त्रण के साथ सशक्त बनाना है।

नषिकर्ष:

डिजिटल बाज़ार व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जुड़ने के लिये एक गतशील स्थान प्रदान करते हैं, लेकिन वे अद्वितीय चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं। एकाधिकार की संभावना, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और नवाचार की कमी के कारण सक्रिय समाधान की आवश्यकता होती है। वैश्विक दुनिया के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, भारत के लिये स्टार्टअप के लिये उपयुक्त परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम उठाना अनविर्य है।

दृष्टाभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल बाज़ारों की प्रमुख वशिषताओं पर चर्चा कीजिये। भारत में डिजिटल बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा से जुड़ी चुनौतियाँ और संभावित समाधान क्या हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न1. भारत के संवधिन के कसि अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न2. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संवधिन में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है ? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधिन के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधिन के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के वसित्तार का परीक्षण कीजिये। (2017)